भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1170
दिनांक 27.07.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

......

रसायन संवर्धन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता

1170. श्री अनिल देसाईः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी कंपनियां रसायन संवर्धन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता की मांग करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए वर्ष 2017-18 और 2018-19 में आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के उन गैर सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है; और

(ग) इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार कौन-कौन से उपयुक्त कदम उठा रही है?

उत्तर

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सरकारी एजेंसियों जैसे विभाग के अधीन शैक्षणिक संस्थानों एवं स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में उद्योग संघों और जिस क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, में प्रमाणित विशेषज्ञता वाले विशेष संगठन, को सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों इत्यादि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। असाधारण मामलों में, ज्ञान उत्पादों के निर्माण के लिए अध्ययन करने के लिए उद्योग संघों को सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ख): 2017-18 और 2018-19 में योजना के लिए आवंटित धनराशि का विवरण क्रमशः 1.99 करोड़ रुपये और 2.73 करोड़ रुपये हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले संगठनों की कुल संख्या क्रमशः 3 और 9 हैं।

जारी.....

(ग): योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) रसायन संवर्धन और विकास स्कीम दिशा-निर्देश रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं और संबंधित हितधारकों को भी परिचालित किए जाते हैं।

(ii) स्कीम के तहत कार्यक्रमों को आयोजित करने के प्रस्ताव, कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में पात्र संगठनों से आमंत्रित किए जाते हैं।

(iii) कार्यक्रामों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने हेतु उद्योग के विचारों पर चर्चा करने और उन्हें अभिनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ वित्तीय वर्ष के शुरुआत में विभाग में एक बैठक आयोजित की जाती है।

(iv) ऑन-लाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए रसायन संवर्धन और विकास स्कीम पोर्टल लॉन्च किया गया है।

*****